

भारत का राजपत्र
The Gazette of India

असाधारण

EXTRAORDINARY

भाग II—खण्ड 3—उप-खण्ड (ii)

PART II—Section 3—Sub-section (ii)

प्राधिकार से प्रकाशित

PUBLISHED BY AUTHORITY

सं. 2671]

नई दिल्ली, शुक्रवार, दिसम्बर 11, 2015/अग्रहायण 20, 1937

No. 2671]

NEW DELHI, FRIDAY, DECEMBER 11, 2015/AGRAHAYANA 20, 1937

सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय

अधिसूचना

नई दिल्ली, 11 दिसम्बर, 2015

का.आ. 3361(अ).—केन्द्रीय सरकार, ने राष्ट्रीय राजमार्ग अधिनियम, 1956 (1956 का 48) (जिसे इसमें इसके पश्चात् उक्त अधिनियम कहा गया है) की धारा 3क की उप-धारा (1) के अधीन जारी की गई और भारत सरकार के सड़क परिवहन और राजमार्ग मंत्रालय की अधिसूचना संख्या का.आ. 2269(अ) तारीख 20.08.2015 जो भारत के राजपत्र, असाधारण, भाग-II, खंड-3, उप-खंड (ii), में प्रकाशित की गई थी, द्वारा आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीस नेल्लोरे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 कि.मी. 443.650 से कि.मी. 443.950 (पेंचलकोना से येपेंदु) तक के भूखण्ड के निर्माण (दो लेन का बनाने/चौड़ा करने) अनुरक्षण, प्रबन्ध और प्रचालन के लोक प्रयोजन के लिए उस अधिसूचना से उपाबद्ध अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का अर्जन करने के अपने आशय की घोषणा की थी;

और उक्त अधिसूचना का सार उक्त अधिनियम की धारा 3क की उप-धारा 3 के अधीन 05.09.2015 को “वार्ता (दैनिक तेलगु)” एवं “दी हंस इंडिया (दैनिक अंग्रेजी)” में प्रकाशित किया गया था;

और सक्षम प्राधिकारी को किसी व्यक्ति से कोई आक्षेप प्राप्त नहीं हुए हैं ;

या

और आक्षेप प्राप्त हुए थे और सक्षम प्राधिकारी ने उन पर विचार कर लिया है और आक्षेपों को अननुज्ञात कर दिया है;

और सक्षम प्राधिकारी ने उक्त अधिनियम की धारा की उप-धारा (1) के अनुसरण में, केन्द्रीय सरकार को अपनी रिपोर्ट दे दी है;

अतः अब, केन्द्रीय सरकार, सक्षम प्राधिकारी की उक्त रिपोर्ट प्राप्त हो जाने पर और उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (1) द्वारा प्रदत्त शक्तियों का प्रयोग हुए यह घोषणा करती है कि उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि का पूर्वोक्त प्रयोजन के लिए अर्जन किया जाना चाहिए;

और अब केन्द्रीय सरकार, उक्त अधिनियम की धारा 3घ की उप-धारा (2) के अनुसरण में, यह घोषणा करती है कि इस अधिसूचना के राजपत्र में प्रकाशन पर उक्त अनुसूची में विनिर्दिष्ट भूमि, सभी विल्लंगमों से मुक्त हो कर आत्यन्तिक रूप से केन्द्रीय सरकार में निहित हो जाएगी।

अनुसूची

आंध्र प्रदेश राज्य के एसपीस नेल्लोरे जिले में राष्ट्रीय राजमार्ग संख्या 565 के कि.मी. 443.650 से कि.मी. 443.950 (पेंचलकोना से येरपेदु) तक के लिए अर्जन की जाने वाली संरचना रहित अथवा संरचना सहित भूमि का संक्षिप्त विवरण

क्रम संख्या	जिला का नाम	तालुक/मंडल का नाम	गाँव का नाम	का नाम	सर्वे संख्या	भूमि की प्रकृति	भूमि का क्षेत्र (एकड़)	भूस्वामियों/हितबद्ध व्यक्तियों के नाम
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	एस.पी. स. नेल्लोरे	रापुर	रापुर	137/2	ए डब्लू	सुखा	0.01	थुरका पुल्लिया पुत्र पिच्चिया
2				960/2	कृषि अयोग्य	सिंचित	0.96	व्यतला प्रसाद पुत्र नारायण मूर्ति
3				961/1	सरकारी	सिंचित	0.45	मंतुरे पुल्लिया पुत्र चिन्निया मन्तुरे पेंचालिया पुत्र मुनिया मिन्तुरे राम्किश्रिया पुत्र रामाचान्द्रिया मुन्तुरे संजीवलू पुत्र रामाचान्द्रिया
4				970/2	सरकारी	सिंचित	0.05	चिताला सिवा रमी रेड्डी पुत्र राघव रेड्डी
						कुल	1.47	

[फा. सं. आरडब्ल्यू/एन एच. 37014/04/2014/एन एच डीपी-IVए]

माया प्रकाश, निदेशक

MINISTRY OF ROAD TRANSPORT AND HIGHWAYS

NOTIFICATION

New Delhi, the 11th December, 2015

S.O. 3361(E).—Whereas by the notification of the Government of India in the Ministry of Road Transport and Highways, Department of Road Transport and Highways numbers S.O. 2269(E) dated 20.08.2015 published in Gazette of India, Extraordinary, Part-II, Section-3, Sub-section (ii) issued under sub-section (1) of section 3A of the National Highways Act, 1956 (48 of 1956) (hereinafter referred to as the said Act), the Central Government declared its intention to acquire the land specified in the Schedule annexed to the said notification for building (widening/four-laning, etc.,) maintenance management and operation of National Highway No. 565 on the stretch of land from km. 443.650 to km. 443.950 (Penchalakona to Erpedu) in SPSR Nellore District, the State of Andhra Pradesh;

Any where as the substance of the said notification has been published in Vartha (daily-Telugu) dated 05.09.2015 and The Hans India daily (English) dated 05.09.2015 under sub-section (3) of section 3A of the said Act;

And whereas no objections have been received from any person by the competent authority;

OR

And whereas objections have been received and the same have been considered and disallowed by the competent authority;

Now, therefore, upon receipt of the said report of the competent authority and in exercise of the powers conferred by sub-section (1) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that the land specified in the said Schedule should be acquired for the aforesaid purpose;

And further, in pursuance of sub-section (2) of section 3D of the said Act, the Central Government hereby declares that on publication of this notification in the Official Gazette, the land specified in the said Schedule shall vest absolutely in the Central Government, free from all encumbrances.

SCHEDULE

Brief Description of the land to be acquired with or without structure falling within the stretch of land from km. 443.650 to km. 443.950 (Penchalakona to Yerpedu) section on the National Highway No. 565 in the SPS Nellore District of Andhra Pradesh.

Sl. No.	Name of District	Name of Mandal	Name of the Village	Survey Number	Type of Land	Nature of Land	Area (in Acres)	Name of the land Owner/ Interested Person
1	2	3	4	5	6	7	8	9
1	SPS Nellore	Rapur	Rapur	137/2	AW	Dry	0.01	Thurka Pullaiah S/o Pichaiah
2	SPS Nellore	Rapur	Rapur	960/2	Non Agricultural Land	Arable	0.96	Vytla Prasad S/o Naryana Murthy
3	SPS Nellore	Rapur	Rapur	961/1	Govt.	Arable	0.45	Mannure Pullaiah S/o Chinnaiah Mannuru Penchalaiah S/o Muneiah Munnuru Ramakrishnaiah S/o Ramachandraiah Munnuru Sanjeevulu S/o Ramachandraiah
4	SPS Nellore	Rapur	Rapur	970/2	Govt.	Arable	0.05	Chintala Siva Rami Reddy S/o Raghava Reddy
						Total	1.47	

[F. No. RW/NH-37014/04/2014/NHDP-IVA]

MAYA PRAKASH, Director